पत्रांक–5/बी01–45/2016..............................

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

**भरत राम,**
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक ................................/

विषय :– राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत वर्ग IX एवं X कक्षा में अध्ययनरत् सामान्य कोटि की बालिकाओं के लिए पोशाक हेतु कुल रूपये **73,65,15,000/–**(तिहत्तर करोड़ पैंसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–107–छात्रवृत्तिया, उप शीर्ष–0107–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या–पी 2202021070107 में वर्ग IX एवं X में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल राशि रू0 **73,65,15,000/–**(तिहत्तर करोड़ पैंसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटन आवंटित की जाती है।

2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 (वि0–2), दिनांक 17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, 423 दिनांक–31.03.2016, 2793 दिनांक–04.04.2016 एवं 4572 दिनांक–03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या–66 दिनांक–27.01.2016 के आलोक में आवंटित है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या–66 दिनांक–27.01.2016 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।

5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

Sunil kumar sinha

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

8 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10 मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन
ह0
**(भरत राम),**
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 232 पटना, दिनांक:– 30/1/17

प्रतिलिपि:–संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/17
**(भरत राम),**
सरकार के उप सचिव।

Sunil kumar sinha

मांग संख्या–21 मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–107–छात्रवृत्तियां, उपशीर्ष–0107–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड–पी0 2202021070107 अंतर्गत विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृति/वजीफा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

| क्र0 सं0 | जिला का नाम | 09वीं एवं 10वीं कक्षा मे अध्ययनरत सामान्य बालिकाओं पूर्व में आवंटित राशि (रू0 में) | 09वीं एवं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत सामान्य बालिकाओं की संख्या | 09वीं एवं 10वीं कक्षा मे अध्ययनरत सामान्य बालिकाओं को तत्काल आवंटित राशि (रू0 में) | कुल आवंटित राशि (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पटना | 0 | 25643 | 25643000 | 25643000 |
| 2 | नालन्दा | 0 | 16282 | 16282000 | 16282000 |
| 3 | भोजपुर | 0 | 22450 | 22450000 | 22450000 |
| 4 | बक्सर | 0 | 17595 | 17595000 | 17595000 |
| 5 | रोहतास | 0 | 26609 | 26609000 | 26609000 |
| 6 | कैमूर | 0 | 8213 | 8213000 | 8213000 |
| 7 | गया | 0 | 18195 | 18195000 | 18195000 |
| 8 | जहानाबाद | 0 | 2963 | 2963000 | 2963000 |
| 9 | नवादा | 0 | 11312 | 11312000 | 11312000 |
| 10 | औरंगाबाद | 0 | 17026 | 17026000 | 17026000 |
| 11 | अरवल | 0 | 8907 | 8907000 | 8907000 |
| 12 | मुजफ्फरपुर | 0 | 22342 | 22342000 | 22342000 |
| 13 | वैशाली | 0 | 31851 | 31851000 | 31851000 |
| 14 | पुर्वी चम्पारण | 0 | 38961 | 38961000 | 38961000 |
| 15 | प0 चम्पारण | 0 | 20610 | 20610000 | 20610000 |
| 16 | सीतामढ़ी | 0 | 22296 | 22296000 | 22296000 |
| 17 | शिवहर | 0 | 5592 | 5592000 | 5592000 |
| 18 | सारण | 0 | 42691 | 42691000 | 42691000 |
| 19 | सिवान | 0 | 32281 | 32281000 | 32281000 |
| 20 | गोपालगंज | 0 | 41736 | 41736000 | 41736000 |
| 21 | दरभंगा | 0 | 27356 | 27356000 | 27356000 |
| 22 | मधुबनी | 0 | 52705 | 52705000 | 52705000 |
| 23 | समस्तीपुर | | 30493 | 30493000 | 30493000 |
| 24 | सहरसा | 0 | 16386 | 16386000 | 16386000 |
| 25 | मधेपुरा | 0 | 16405 | 16405000 | 16405000 |
| 26 | सुपौल | 0 | 18046 | 18046000 | 18046000 |
| 27 | पुर्णिया | 0 | 17010 | 17010000 | 17010000 |
| 28 | कटिहार | 0 | 4314 | 4314000 | 4314000 |
| 29 | किशनगंज | 0 | 9234 | 9234000 | 9234000 |
| 30 | अररिया | 0 | 12230 | 12230000 | 12230000 |
| 31 | भागलपुर | 0 | 20806 | 20806000 | 20806000 |
| 32 | बांका | 0 | 10330 | 10330000 | 10330000 |
| 33 | मुगेंर | 0 | 11257 | 11257000 | 11257000 |
| 34 | बेगूसराय | 0 | 24174 | 24174000 | 24174000 |
| 35 | खगड़िया | 0 | 13361 | 13361000 | 13361000 |
| 36 | जमूई | 0 | 9884 | 9884000 | 9884000 |
| 37 | लखिसराय | 0 | 5507 | 5507000 | 5507000 |
| 38 | शेखपुरा | 0 | 3462 | 3462000 | 3462000 |
| | **कुल** | **0** | **736515** | **736515000** | **736515000** |

कुल (तिहत्तर करोड़ पैसठ लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र।

(भरत राम)
सरकार के उप सचिव।

D:/Prabha/Allotment Letter/1